

न्यायालय सहायक कलक्टर(SDO) भीण्डर, जिला-उदयपुर
पीठासीन अधिकारी: श्री पर्वत सिंह चुण्डावत, R.A.S
मुकदमा नम्बर : 10/23 (वाद)
GCMS NO. : 2023/43
अनवान

1. श्री दुर्गेश कशिंग प्लांट भीण्डर द्वारा राजय पिता मांथमल जी साहु निवारी भीण्डर तहसील भीण्डर जिला उदयपुर राज.।

.....वादी

वनाम

1. श्री रतनलाल पिता उंकार लाल सांगी निवारी भीण्डर तहसील भीण्डर जिला उदयपुर राज
2. श्री राजस्थान राज्य जारिये तहसीलदार, कानोड जिला उदयपुर राज.

.....प्रतिवादीगण

- उपस्थित-1. श्री लक्षण गिरी गोस्वाम, अधिवक्ता वादी।
2. श्री राजमल मेनारिया, अधिवक्ता प्रतिवादी।

वाद अन्तर्गत धारा 53, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम
--::निर्णय::--

दिनांक : 22.02.2024

पार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 53, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम में बंटवाडा प्रस्ताव अनुसार अन्तिम डिक्री किये जाने का निवेदन किया। प्रकरण में अधिवक्ता उभय पक्षकारान उपस्थित। अधिवक्ता उभय पक्षकारान द्वारा बंटवाडा किया जाने पर सहमति व्यक्त की। अधिवक्ता उभय पक्षकारान को सुना गया।

हमने प्रकरण का अवलोकन किया। दस्तावेजात का अध्ययन किया। तहसीलदार कानोड से प्राप्त बंटवाडा प्रस्ताव का अवलोकन किया। अधिवक्ता उभय पक्षकारान की बहस पर मनन किया। अधिवक्ता उभय पक्षकारान द्वारा तहसीलदार कानोड से प्राप्त बंटवाडा प्रस्ताव पर कोई आपत्ति जाहिर नहीं कर बंटवाडा प्रस्ताव पर सहमति व्यक्त कर मौके पर काश्तकारों के आमने जाने के लिए रास्ते की भी सहूलियत होना बताकर प्रस्ताव अनुसार अन्तिम डिक्री जारी किये जाने का निवेदन किया। अतः वादी का वाद स्वीकार योग्य पाया जाता है।

परिणामस्वरूप वादी का वाद स्वीकार किया जाता है कि मौजा वरनोदा पटवार हल्का भोतिदा तहसील कानोड की निम्न आराजीयात का बंटवाडा निम्नानुसार अन्तिम किया जाता है

क्र.	नाम स्वामिदार	आ.न.	मर्यादा	किस्म	मूल्य
1.	दुर्गस कृषिगत प्लॉट भीण्डर द्वारा राजय पिता चान्दमल साहु सा भीण्डर खातेदार	132 ख.ना	0.0100	म.म. लुडी	
		133	0.1700	वा.पु.नीय	0.54
		134	0.1200	वा.पु.नीय	0.38
		135	0.1300	वा.पु.नीय	0.39
		136	0.1500	वा.पु.नीय	0.45
		137	0.0600	वा.पु.नीय	0.18
		138	0.0900	वा.पु.नीय	0.27
		139	0.0900	वा.पु.नीय	0.27
		140	0.2100	वा.पु.नीय	0.63
		141	0.2000	वा.पु.नीय	0.60
		142	0.1900	वा.पु.नीय	0.57
		143/1	1.1477	बीड.डि.	1.15
			योग	किता 12	2.5677
2.	रतनलाल पिता चकारलाल जाति सोनी सा. भीण्डर खातेदार	143/2	1.1023	बीड डि.	1.10
	योग	किता 1	1.1023		1.10
3.	दुर्गस कृषिगत प्लॉट भीण्डर द्वारा राजय पिता चान्दमल साहु 2185/3123 भीण्डर खातेदार, रतनलाल पिता चकारलाल 938/3123 जाति सोनी सा. भीण्डर खातेदार	143/3	0.08	मी.डि.	0.08
	योग	किता 1	0.08		0.08
अंतिम डिक्री पढी जारी हो। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर सं कम हो। निर्णय खुले न्यायालय सुनाया गया।					
(पर्वत सिंह चुण्डावत RAS) सहायक कलेक्टर(SDO) भीण्डर जिला उदयपुर (राज.)					

अंतिम डिक्री

(आदेश 20 के नियम 11 और 7)

न्यायालय सहायक कलक्टर (SDO) भीण्डर, जिला-उदयपुर

पीठासीन अधिकारी: श्री पर्वत सिंह चुण्डावत, R.A.S

मुकदमा नम्बर : 18/23 (वाद)

GCMS NO. : 2023/43

अगवान

1. श्री दुर्गेश क्रशिंग प्लॉट भीण्डर द्वारा राजय पिता चान्दमल जी राहु निवासी भीण्डर तहसील भीण्डर जिला उदयपुर राज।

.....वादी

बनाम

1. श्री रतनलाल पिता उंकार लाल सोनी निवासी भीण्डर तहसील भीण्डर जिला उदयपुर (राज)

2. श्री राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार, कानोड जिला उदयपुर राज.

.....प्रतिवादीगण

वाद अन्तर्गत धारा 53, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

अधिवक्ता वादी की उपस्थिति में इसा वाद में आज तारीख 22.02.2024 को श्री पर्वत सिंह चुण्डावत, R.A.S. सहायक कलक्टर के समक्ष अन्तिम निपटारे के लिए पेश होने पर, आदेश किया जाता है और डिक्री दी जाती है कि मौजा वरनादा पटवार हल्का गांतिदा तहसील कानोड की निम्न आराजियात का बटवाडा निम्नानुसार अंतिम किया जाता है :-

क्र	नाम खातेदार	आ.न.	रकबा	किस्म	लगान		
1.	दुर्गेश क्रशिंग प्लॉट भीण्डर द्वारा राजय पिता चान्दमल राहु सा. भीण्डर खातेदार	132 खड़ा	0.0100	ग.पु खड़ा			
		133	0.1700	वा.तृतीय	0.51		
		134	0.1200	वा.तृतीय	0.36		
		135	0.1300	वा.तृतीय	0.39		
		136	0.1500	वा.तृतीय	0.45		
		137	0.0600	वा.तृतीय	0.18		
		138	0.0900	वा.तृतीय	0.27		
		139	0.0900	वा.तृतीय	0.27		
		140	0.2100	वा.तृतीय	0.63		
		141	0.2000	वा.तृतीय	0.60		
		142	0.1900	वा.तृतीय	0.57		
		143/1	1.1477	बीड.दि.	1.15		
		योग		किता 12	2.5677		5.38
		2.	रतनलाल पिता उंकारलाल जाति सोनी सा. भीण्डर खातेदार	143/2	1.1023	बीड दि.	1.10
योग		किता 1	1.1023		1.10		
3.	दुर्गेश क्रशिंग प्लॉट भीण्डर द्वारा राजय पिता चान्दमल राहु 2185/3123 भीण्डर खातेदार, रतनलाल पिता उंकारलाल 938/3123 जाति सोनी सा भीण्डर खातेदार	143/3	0.08	बी. दि.	0.08		
योग		किता 1	0.08		0.08		

नोट- उक्त अंतिम डिक्री का नक्शा ट्रेस अभिन्न अंग रहेगा। खर्च पक्षकारान अपना-अपना वहन करेंगे। अन्तिम डिक्री अनुसार राजस्व रेकार्ड में अमल दरामद किया जावे। पत्रावली फौसल शुमार हांकर नम्बर से कन हो। निर्णय खुले न्यायालय सुनाया गया।

(पर्वत सिंह चुण्डावत RAS)
सहायक कलक्टर(SDO) भीण्डर
जिला उदयपुर (राज.)